निगरानी / टीए / 4499 / 2005 / उदयपुर
सुरज कंवर बनात हिम्मत सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री पूर्णा शंकर दशोरा अधिवक्ता प्रार्थीगण (2) श्री संजय बोहरा अधिवक्ता अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांकः 11.7.2018** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 उपखण्ड अधिकारी मांवली के निर्णय दिनांक 30–6–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार वादिया / प्रार्थीया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88–89–53 आरटीएक्ट.1955 के तहत सहायक कलक्टर मावली के समक्ष बावत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया । अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जिस पर प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। उक्त दावे व जबाव दावे के आधार पर तनकियात कायम की गयी व प्रकरण वादी शहादत हेतु नियत था इसी दौरान वादिया प्रार्थीया ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रार्थनापत्र पेश कर सहवन से दावे के समय छूटे प्रतिवादीगण को दावे में पक्षकार बनाये जाने व त्रुटिवश बक्शीसनामा को वसीयत लिख देने व अन्य मुख्य इबारत दावे में जुडवाने हेतु पेश किया जिसका प्रतिवादी ने जबाव पेश किया इसके बाद अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र पर दोनो पक्षकारों को सुनते हुए अपने आदेश दिनांक 30–6–05 के द्वारा वादिया / प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी ह 3– निगरानी पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादिया / प्रार्थी ने विवादित आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा कर बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर किया है , जिसमें	

निगरानी / टीए / 4499 / 2005 / उदयपुर
सुरज कंवर बनात हिम्मत सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कानूनन वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है , इस हेतु प्रार्थीया द्वारा सहवन से दावे के समय छूटे सम्बन्धित पक्षकारान को दावे में पक्षकारान बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया परन्तु विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को नही समझ कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। उनका आगे तर्क है कि वादिया प्रार्थीया ने अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर अपने वाद पत्र में संशोधन चाहा गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को मात्र यही देखना था कि क्या चाहा गया संशोधन पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद को सम्पूर्ण निस्तारण करने हेतु आवश्यक है या नही लेकिन अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापपत्र को खारिज करने में अहम कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि वाद में बख्शीशनामा की बजाय वसीयतनामा लिख कर आयी है जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवश लिखा गया है जिसका संशोधन करवा कर जहॉ जहॉ वसीयतनामा लिखा गया है उसे बक्शीशनामा दर्ज कराना चाहती थी, जिसमें प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होनी चाहिए थी क्योकि वह स्वयं भी अपने जबाव दावे में उक्त वसीयत के आधार पर बक्शीशनामा कह कर ही आये है फिर भी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 30–6–05 को निरस्त कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। 5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में दावा व जबावदावा के आधार पर तनकियात कायम होकर प्रकरण वादी की शहातद हेतु नियत है। इस स्टेज पर दावे में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाना या वर्तमान प्रतिवादीगण के अलावा अन्य प्रतिवादी संयोजित करवाना न्याय संगत नही है। इनके प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने पर दावे की प्रकृति ही बदल जायेगी और पुनः दावा व जबाव दावा के आधार पर तनकियात निर्मित	

निगरानी / टीए / 4499 / 2005 / उदयपुर
सुरज कंवर बनात हिम्मत सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाना आवश्यक होगा। चूँकि वादिया प्रकरण को लम्बा करना चाहती है। ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादिया / प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17सीपीसी को अपने विस्तृत निर्णय से खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। अपने तर्को के समर्थन आरआरटी 2010(1) पेज238 ,आरआरटी 2008(2) पेज818 आरआरटी 2003(1) पेज 355, आरआरटी 2004(1) पेज 967 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। 6— निगरानी पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया / प्रार्थी ने विवादित ने आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा कर बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर किया है दौराने दावा वादिया की ओरसे प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व 6नियम 17 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने प्रार्थीया द्वारा सहवन से दावे के समय छूटे सम्बन्धित पक्षकारान को दावे में पक्षकारान बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया परन्तु विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को नही समझ कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है।वादिया / प्रार्थीया वाद में बख्शीशनामा की बजाय वसीयतनामा लिख कर आयी है जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवश लिखा गया है जिसका संशोधन करवा कर बक्शीशनामा दर्ज करना चाहती है जिसमें प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होनी चाहिए थी क्योकि इससे दावे की प्रकृति भी नही बदल रही है एवं जिन व्यक्तियों को वादिया पक्षकार बनाना चाहती है वे दावे में वर्णित आराजी से इसलिए रिलेटेड है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के परिधियों के ही व्यक्ति हैं जिनका हित किसी न किसी रुप में इस सम्पत्ति में निहित हो सकता है, जिन्हे पक्षकार बनाये जाने से दावे में किसी प्रकार का परिवर्तन नही हो रहा है ना ही जो रिलीफ चाही गयी है उससे परिवर्तन हो रहा है। चूँकि वादी अपने वाद का मास्टर होता है वह आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश	

निगरानी / टीए / 4499 / 2005 / उदयपुर
सुरज कंवर बनात हिम्मत सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6 नियम 17 सीपीसी के तहत वादमें पक्षकार बनने एवं अभिवचनों के प्रकरण के किसी भी समय पर संधोश्न कराया जा सकता है। ऐसी स्थति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रांर्थनापत्र को समयावधि में पेश नही किये जाने के आधार पर निरस्त करने में त्रुटि की है। फलस्वरुप निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 8— अतः निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 30—6—05 को निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष वादिया / प्रार्थया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मावली को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीया की ओर से संशोधन शीर्षक लेकर व पुनः पक्षकारों की ओर से साक्ष्य सबूत लेकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करे। पक्षकारान उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष दिनांक 2—8—2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित हों। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	

निगरानी / टीए / 4499 / 2005 / उदयपुर
सुरज कंवर बनात हिम्मत सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए